सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A4-160/2014

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 15 जुलाई, 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 2385, दिनांक 10–12–2019 एवं पत्र संख्या 2386, दिनांक 10–12–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– तत्क्रम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति, उ0त0वि0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वस्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दयाल सिटी, बेदपुर, भगवानपुर–हरिद्वार बाईपास, रूड़की	एल०एल०बी०	180	2019–20
	बी०ए०–एल०एल०बी०	180	
	एल०एल०एम०	75	

(1) कार्य परिषद, इस सचिवालय से जारी पत्र दिनांक 26–04–2019 के अनुसार सत्र 2018–19 व इससे पूर्व के सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता का निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश निर्गत करे। विश्वविद्यालय, संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के दृष्टिगत कार्यपरिषद, नियामक संस्थाओं के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे।

(2) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से प्राप्त हो रहे पत्रों में विश्वविद्यालय का नाम ''वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून'' अंकित किया जा रहा है। जब तक विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होने के सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक विश्वविद्यालय को पूर्व नाम से सम्बोधित किया जाये व संस्थानों को अस्थाई सम्बद्धता भी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से प्रदान की जाये, ताकि छात्रों के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

3– अतएव तत्क्रम में कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत करायें। आगामी सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या– 722 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-160/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल।